न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या 22/2019 {2019/00050}

वादीगण

1- सुवालाल पुत्र सुजादास
2- धर्मेश्वर पुत्र सुजादास
3- पवन कुमार पुत्र सुजादास
4- भगवती प्रसाद पुत्र सुजादास जाति समस्त साद निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर
   राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा व त्रुटी सुधार अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 *R.L.R .Act 1956*

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28.06.19

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 107 रकबा 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 108 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा के द्वितीय भू–प्रबन्ध के द्वारा नवीन खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु.जाव व खसरा नम्बर 748 रकबा 1.87 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय जाव अंकित हुये। जिसमें वादीगण के काबिज खातेदारी की अवस्थित रही है, वादीगण व उनके पूर्वज बहुत समय से उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज चले आ रहे है, जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

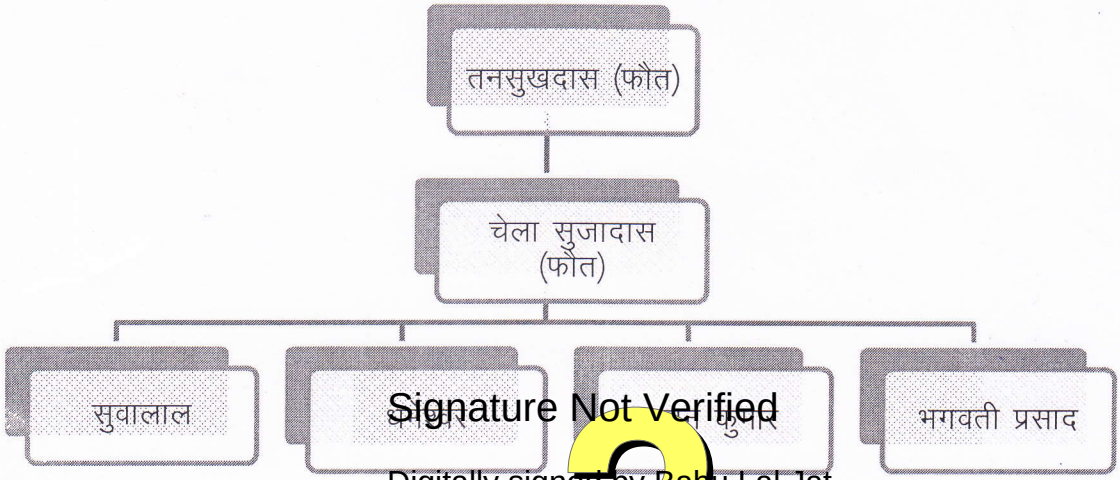

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

कस्बा कुचामनसिटी के वर्तमान खसरा नम्बर जिसके गत खसरा नम्बर 108 रकबा 0.05 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर के गत खसरा नम्बर 108 रकबा 0.01, 109 रकबा 1.95, 107 रकबा 0.01 हैक्टर रहे है। वादीगण के पूर्वजो के नाम सम्वत 2022 से पुजारा तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद के नाम से दर्ज है जो कि सम्वत 2022 से 2040 तक खातेदारी की चली आक रही थी,

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

....2....

वर्तमान खसरा नम्बर 747 एवक 748 के गत खसरा नम्बर 109 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 108 रकबा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 107 रकबा 1 बिस्वा की भूमि को सम्वत 2022 से 2040 वादीगण के पूर्वज उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त कर रहे है जो कि आज दिन वादीगण उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज काश्तकार है। कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107 108 109 में वादीगण के दादाजी तनसुखदास का नाम खातेदारी मे सम्वत 2022 से लेकर 2040 तक चला आ रहा था उसके पश्चात वादीगण के दादाजी की मृत्यु उपरान्त के पिताजी सुजादास का नाम सम्वत 2037 को नाम दर्ज कर दिया गया था, सम्वत 2040 तक वादीगण के पिता सुजादास के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी, सम्वत 2010 से 2013 तक खसरा गिरदावरी में उपरोक्त खसरा नम्बर वादीगण के पूर्वजो की काश्त दर्ज है जो कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वादीगण के पूर्वजों के समय से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है , द्वितीय भू–प्रबन्ध 2046 में वादीगण के पिताजी सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मंदिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार खातेदारी दर्ज कर दी गई जो भू–प्रबन्ध अधिकारियो मन माफिक दर्ज कर दी जो त्रुटी खातेदारी में की गई है। सम्वत 2046 में द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो से मरहूम कर दिया जो कि खातेदारी त्रुटीपूर्ण दर्ज किया है जिसे वादीगण खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है भू–प्रबन्ध अधिकारियों को किसी खातेदार की खातेदारी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था उसके बावजूद भी विधि विरूद्व तरीके से उक्त खसरों में खातेदारी में परिवर्तन किया गया है जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है, बिनाय दावा दिनॉक 05.04.2019 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को तथाकथित खतौनी के आधार पर भूमि मंदिर वाके श्री बिहारीजी होने से एलानिाया धमकी वहा से मकानात खाली करने की तब वादीगण ने नागौर से नकले प्राप्त करने पर बमुकाम कुचामनसिटी में उत्पन्न हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि यह घोषित फरमाया जावे की कस्बा कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 जिसके नवीन खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर कुल रकबा 2.02 हैक्टर वादीगण के खातेदारी है द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण की उक्त खसरो से खातेदारी हटा दी गई थी, जिसे पुनः वादीगण अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी है, स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की [illegible] फरमायी जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न [illegible] करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे, अन्य दादरसी वादी के हक में अता फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 की भूमि सम्वत 2022–2025 मे तनसुखदास चेला

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दौलतदास साद की खातेदारी जमाबन्दी में आवश्यक दर्ज है परन्तु इससे पूर्व मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज रही है, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2021 तक मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज रही है एवं सम्वत 2022 से 2040 तक तनसुखदास चेला दौलतदास की खातेदारी दर्ज है, जमाबन्दी सम्वत 2010–2021 तक में डोली बनाम मन्दिर री बिहारी जी वाके देह बएतमाम पुजारा तनसुखदास चेला दौलदास कौम साद सा. देह खुदकाश्त दर्ज है, गिरदावरी सम्वत 2010–2013 में स्तम्भ संख्या 5 में डोली मन्दिर श्री बिहारी वाके बएतमाम पुजारी तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद डोलीदार एवं स्तम्भ संख्या 6 मं लालू पुत्र बन्ना कुम्हार 1/2 तन्नादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है, भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 अनुसार यह तथ्य स्वीकार है कि भू–प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज किया गया है, गिरदावरी सम्वत 2010–2013 में स्तम्भ संख्या 5 में डोली मन्दिर श्री बिहारी वाके बएतमाम पुजारी तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद डोलीदार एवं स्तम्भ संख्या 6 मं लालू पुत्र बन्ना कुम्हार 1/2 तन्नादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज है, अतः वाद काबिल खारिज है अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में मे वादीगण द्वारा खसरा मिलान क्षेत्रफल की नकल, नक्शा ट्रेस पुराना गत खसरा नम्बर 107 108 109 से सम्बन्धित एवं वर्तमान खसरा नम्बर 747, 748 से सम्बन्धित की नकल, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 एवं 2046–2065 की नकल, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021 की नकल, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2010–2013, 2014–2017, 2018–2021,2022–2025, 2026–2029, 2030–2033, 2033–2036, 2037–2040 की नकल प्रस्तुत की। तत्पश्चात निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :–

<u>तनकियात</u>

1. . आया वादीगण की पैतृक भूमि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 170 108 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 748 की खातेदारी उनके दादा तनसुखदास तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण के पिता सुजादास के नाम दर्ज रही है, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारो से मरहूम रखकर भूमि मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई जो कतई गलत है ?

––– <u>जिम्मे वादीगण</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रश्नगत भूमि पर वादीगण [illegible] पश्चात वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जमाबन्दी गिरदावरियो से स्पष्ट है, जिससे वादीगण मंदिर श्री बिहारी के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराये जाने के अधिकारी है ?

––– <u>जिम्मे वादीगण</u>

....4...

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3. आया वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107 108 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 एवं 748 कुल रकबा 2.02 हैक्टर की खातेदारी अधिकार पाने के मुश्तहक है ?

––– **जिम्मे वादीगण**

4. प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में भू–प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई तथा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में स्तम्भ संख्या 6 में उप कृषक के रूप मे लालू पुत्र पन्ना कुम्हार सा. देह 1/2 तनादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त दर्ज है अतः वाद काबिल खारिज कराये जाने के लिए मुश्तहक है ?

––– **जिम्मे प्रतिवादी**

5. अनुतोष ।

मौखिक साक्ष्य में वादीगण सुवालाल, धर्मेश्वर, भगवतीप्रसाद एंव गवाह सुरजीतसिंह एवं अनिल शर्मा के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। वादी वकील द्वारा लिखित बहस एवं प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। वादी वकील ने लिखित बहस के साथ राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3 (2)राज/16/07/2009 दिनॉक 25/11/2011 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार स्थिति पूर्णतया स्पष्ट की जा चुकी है इसके आधार पर वादीगण उक्त त्रुटि को शुद्व करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व अभिलेख गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव मे आने से पूर्व उपकृषक के रूप में दर्ज है जो मन्दिर की खुदकाश्त नही कही जा सकती, वादीगण काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत स्वतः खातेदार हो गये , माननीय न्यायालयो के उद्दरण अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने दीपा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनॉक 15 दिसम्बर 1995 (1996 SCC(1)612) के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया है कि " यदि राजस्व अभिलेख मे किसी अभिधारी का नाम किसी भी रूप से अभिलिखित है तो वह अभिधारी राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 15 के अधीन खातेदार अभिधारी हो जाता है चाहे [illegible] देवमूर्ति ही क्यो न हो।" सम्वत 2010 अर्थात 1952 में उपकृषक [illegible] जागीर एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत वह खातेदार बन गया। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय कंचन बाई बनाम राजस्व मण्डल 2[illegible] आर.आर.डी.74 में भी अभिनिर्धारित कर दिया गया कि " यदि राजस्व अभिलेख में किसी अभिधारी का नाम किसी भी रूप में अभिलिखित था तो वह अभिधारी धारा 15 के अधीन खातेदार हो जाता है, चाहे वह भूमि देवमूर्ति की ही क्यों न हो , दीपा के निर्णय 1996 SCC (1)612 के बाद विधि की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

....5....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बदल गई।" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के प्रकरण राजस्थान राज्य व अन्य बनाम प्रेमशंकर व अन्य डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) 683/01 निर्णय दिनॉक 14.11.2002 में भी प्रतिपादित किया है कि "अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर उसका उपकृषक के रूप में अभिलेख प्रत्यर्थी स्वतः खातेदार कृषक हो जाता है।" घोषणा हेतु पृथक से किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है। वादीगण का कथन है कि मन्दिर माफी का तात्पर्य " जागीरकाल में रजवाड़ों के जमाने में मन्दिर एवं डोली की कृषि भूमि पर लगान नही लिया जाता था यानि लगान माफ था जबकि इस भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम लागू होने से पूर्व ही भू-राजस्व निर्धारण किया हुआ है।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (43) में अभिधारी (टिनेंट) को परिभाषित किया गया है- (i) वह लगान देता है या उसके द्वारा कानून या करार द्वारा लगान देय है। (ii) ऐसा लगान संदाय करने के लिये स्पष्ट या परोक्ष करार है।

प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2021 तक डोली बनाम मन्दिर श्री बिहारी जी की खुदकाश्त दर्ज थी, सम्वत 2022 से 2025 की जमाबन्दी में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के तनसुख दास चेला दौलतदास कौम साद साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसको भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः पूर्व अनुसार मन्दिर के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि पूर्व भू-प्रबन्ध सम्वत 2008-2026 में भी मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज थी, माननीय न्यायालयो के अनेकानेक निर्णयों में अभी तक यही मत प्रतिपादित किये गये है एवं विधि का सुस्थापित मत है कि देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है उसकी खुदकाश्त भूमि की खातेदारी कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नही दी जा सकती है वाद काबिल खारिज है जो खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, निर्णय तनकिवार निम्न अनुसार है :-

तनकी संख्या 1- आया वादीगण की पैतृक भूमि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 170 108 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 748 की खातेदारी उनके दादा तनसुखदास तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादी[illegible] के नाम दर्ज रही है, द्वितीय भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने [illegible] सी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण को अपने खातेदारी अ[illegible] मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई जो कतई गलत है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, जिन्होने बताया कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 748 की खातेदार उनके दादा तनसुखदास तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण के पिता

.....6.....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सुजादास के नाम दर्ज रही है, इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत मिसल बन्दोबस्त कुचामनसिटी सम्वत 2008–2027 अनुसार दर्ज इन्द्राज डोली बनाम मन्दिर श्री बिहारीजी वाके देह बएतमाम पुजारा तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह एवं कॉलम संख्या 4 मे खुदकाश्त खसरा नम्बर 107, 108, 109 चाही दोयम बैरा एवं छतरी तथा लगान 108 रूपये अंकित है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में मंदिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर चाही द्वितीय कुल रकबा 2.02 हैक्टर लगान 90.77 रूपये दर्ज है। नकल सम्वत 2022–2025, 2026–2029, 2030–2033, 2033–2036, 2037–2040 निम्न अनुसार इन्द्राज दर्ज है –

खेवट जमाबन्दी की संख्या	खतौनी की संख्या	नाम पट्टी शोक व तरफ व नाम नम्बरदार तथा कर व राजस्व	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप जागीदार) और मालगुजार बिस्वेदार या जमीदार विवरण सहित	नाम कृ ाक विवरण सहित और कृ ा काज	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	सिंचाई का साधन	भूमि कर एवं विविध कर जो कृ ाक द्वारा जमा होते है।	
									विवरण दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2010–2013										
	314		डोली बनाम मंदिर श्री बिहारीजी पुजारा तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह	खुद काश्त	109 108 107	12.08 0.01 0.01	चाही 2 बेरा छतरी	108		५८।।।–
						12.10				
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2014–2017										
	318		डोली बनाम मंदिर श्री बिहारीजी पुजारा तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह	खुद काश्त	109 108 107	12.08 0.01 0.01	चाही 2 बेरा छतरी	108		५८।।।–
						12.10				
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2018–2021										
10	297	303	डोली बनाम मंदिर श्री बिहारीजी पुजारा तनसुखदास दौलतदास कौम साद सा. देह	खुद काश्त	109 108 107	12.08 0.01 0.01	चाही 2 बेरा छतरी			55.13 3.83
						12.10				
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2022–2025										
	112		राजस्थान सरकार	तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह खातेदार	109 108 107	12.08 0.01 0.01	चाही 2 गै.मु.बेरा गै.मु.ढ़ाणी			55.13 3.83
						12.10				

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2026–2029										
	120		राजस्थान सरकार	तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह खातेदार	109 108 107	12.08 0.01 0.01 12.10	चाही 2 गै.मु.बेरा गै.मु.ढ़ाणी			55.13 3.83
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2030–2033										
	358		राजस्थान सरकार	तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह खातेदार	109 108 107	12.08 0.01 0.01 12.10	चाही 2 गै.मु.बेरा गै.मु. छतरी			55.13 3.83
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2034–2036										
	365		राजस्थान सरकार	तनसुखदास चेला दौलतदास कौम साद सा. देह खातेदार	109 108 107	12.08 0.01 0.01	चाही 2 गै.मु.बेरा गै.मु. छतरी			55.13 3.83
ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2037–2040										
363	150		राजस्थान सरकार	सुजादास चेला तनसुखदास कौम साद सा. देह खातेदार	109 108 107	12.08 0.01 0.01 12.10	चाही 2 गै.मु.बेरा गै.मु. छतरी			55.13 3.83

गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013 में कॉलम संख्या 5 में तनादास पुत्र दौलदास उपकृषक दर्ज है, प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य अनुसार भी वादीगण का कब्जा काश्त उपरोक्त भूमि पर निरन्तर रहता आया है जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि एवं गवाहो के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से होती है, उपरोक्त भूमि में सिंचाई का साधन एवं भूमि की किस्म चाही द्वितीय एवं मौके पर गै.मु.ढ़ाणी का होना भी इस बात को साबित करता है कि वादीगण के पूर्वज मौके पर रहकर काश्त करते आये थे तथा आज दिन उनके वंशज का कब्जा काश्त चला आ रहा है, उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी आदेश के उपरोक्त वादीगण के पूर्वजो का नाम हटाकर सीधा ही मंदिर श्री बिहारी के नाम भूमि दर्ज कर दी गयी हो उचित नही है, जबकि मौके पर वादीगण एवं उनके पूर्वज [illegible] कर मौके पर काश्त करते आ रहे है एवं समय समय पर राज्य सरकार को [illegible] ता रहा है, गत सेटलमेंट से पूर्व भी वादीगण के पूर्वज [illegible] इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा भी ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य [illegible]तुत नही किया है जिससे साबित हो सके की उपरोक्त प्रश्नगत भूमि वादीगण एवं इनके पूर्वजो की नही रही हो। वादीगण द्वारा विभिन्न न्यायालयो के उद्वरण पेश किये जो उपर

.....

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

लिखित बहस में अंकन किया गया है जो इस प्रकरण में चस्पा होते है एवं राज्य सरकार के परिपत्र भी वादीगण के पक्ष में साबित होते है। *राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज.6/07/14 दिनॉक 25.04.2007 की निरन्तरता में आगे स्पष्ट किया जाता है कि जहॉ राजस्व विभाग के पत्र प.2(4)राज–4/98/37 दिनॉक 31.12.1991 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी) में काश्तकारो की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानो के अन्तर्गत निर्णित किये जाने चाहिए, क्योंकि* ***ऐसे मामले जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हे पत्र दिनॉक 31.12.1991 की गलत व्याख्या के तहत की गई लिपिकीय भूल ही माना जायेगा और यह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विधिवत दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे।*** उक्त परिपत्र इस प्रकरण में चस्पा होता है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयो के उपरोक्त उद्वरण भी इस प्रकरण में चस्पा होकर वादीगण के पक्ष को साबित करते है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 – प्रश्नगत भूमि पर वादीगण के पूर्वज एवं उनके पश्चात वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जमाबन्दी गिरदावरियो से स्पष्ट है, जिससे वादीगण मंदिर श्री बिहारी के स्थान पर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराये जाने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिसके सम्बन्ध में वादीगण के पूर्वजो एवं उसके पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आया है, उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वादीगण के दादा तत्पश्चात उनके पिता सुजादास के नाम जमाबंदी में अंकन रहा है, सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा उपरोक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम आदेश के हटा दिये, जो औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होते है, गिरदावरी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वजो का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा है उक्त भूमि का लगान भी इन्ही के द्वारा दिया गया है तथा भूमि की किस्म भी चाही एवं गै.मु.बैरा एवं गै.मु.ढ़ाणी का होने भी वहा पर वादीगण के पूर्वज का निवास होकर खेती करना इस बात को साबित करता है कि प्रश्नगत भूमि पर इन्ही का कब्जा काश्त रहा है, इसलिए उपरोक्त प्रविष्टि अनुसार कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 747,748 रका 2.02 हैक्टर मन्दिर श्री बिहारी जी के [illegible] कर वादीगण अपने नाम भूमि दर्ज कराने के अधिकारी है। चूंकि तत्समय उपरोक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजो एवं उनके पश्चात वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आया है इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नजीर एवं राज्य सरकार के परिपत्र भी वादीगण के पक्ष को साबित करते है। इसलिए यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

.....9......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

<u>**तनकी संख्या – 3**</u> आया वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107 108 109 वर्तमान खसरा नम्बर 747 एवं 748 कुल रकबा 2.02 हैक्टर की खातेदारी अधिकार पाने के मुश्तहक है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा, जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं गत खसरा नम्बर 107 108 109 की जमाबंदीयो में अंकित प्रविष्टि मुताबिक भूमि वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज चली आई है तथा सेंटलमेंट पश्चात उपरोक्त भूमि मंदिर श्री बिहारी जी वाके कुचामनसिटी के नाम दर्ज हुई जिसका किसी भी दस्तावेजात इत्यादि का हवाला नही दिया जाकर सीधे ही वादीगण के पूर्वजो के नाम जमाबंदी से हटा दिये गये थे, ऐसी स्थिति में वादीगण को पुनः खातेदारी में नाम दर्ज करवाये जाने के लिए वाद लाना आवश्यक हुआ, अतः उपरोक्त परिपत्र विभिन्न न्यायालयो की नजीरो से स्पष्ट है कि ऐसे खातेदार जिनका बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी अधिकार हटा दिये गये है वह पुनः अपना नाम दर्ज करवाये जाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में साबित होने से निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या – 4**</u> प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में भू–प्रबन्ध संक्रियाओ के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज की गई तथा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में स्तम्भ संख्या 6 में उप कृषक के रूप मे लालू पुत्र पन्ना कुम्हार सा. देह 1/2 तनादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त दर्ज है अतः वाद काबिल खारिज कराये जाने के लिए मुश्तहक है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि सम्वत 2022–2040 तक वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी में दर्ज रही है, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2010–2021 तक मे डोली बनाम मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह बएतमाम पुजारा तनसुखदास चेला दोलदास कौम साद सा. देह खुदकाश्त दर्ज है, गिरदावरी सम्वत 2010–2013 मे स्तम्भ संख्या 5 में डोली मन्दिर श्री बिहारी वाके बएतमाम पुजारी तनसुखदास कौम साद डोलीदार एवं स्तम्भ संख्या 6 में लालू पुत्र बना 1/2 तन्नादास पुत्र दौलदास साद सा. देह 1/2 दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज किया गया है, जमाबन्दी सम्वत 2010–2013 में उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज है इसलिए वाद खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यो को वादीगण ने नकारते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि पर तत्समय से ही उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आया है तथा मौके पर सिंचित भूमि होने एवं गैर मु. कुआ एवं गै.मु.ढ़ाणी होने से मौके पर वादग्रस्त भूमि मे ही रहते आये है

.....10......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तथा अपनी श्रद्धा एवं ईश्वर की पूजा किये जाने हेतु अपनी भूमि में मन्दिर की स्थापन्ना की गई। ऐसे किसी भी दस्तावेज से साबित नही होता है कि उपरोक्त भूमि कभी मन्दिर की रही हो, चूँकि उपरोक्त जमाबंदीयो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजे तनसुखदास एवं सुजादास की खातेदारी में दर्ज चली आई है तथा वक्त सेटलमेंन्ट बिना किसी सक्षम आदेश के सेंटलमेंट अधिकारियो ने उपरोक्त भूमि मंदिर श्री बिहारी जी के नाम दर्ज कर दी गई जो कतई न्यायोचित नही है, वादीगण का आज दिन भी निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर मकानात इत्यादि बने हुय है। वादीगण अपनी रोजी रोटी इसी भूमि में काश्त कर चलाते आये है तथा उपरोक्त भूमि के अलावा परिवार पालना पोषण का जरिया नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विभिन्न माननीय न्यायालयो की नजीरें एवं राज्य सरकार के परिपत्र भी बखूबी इस प्रकरण पर चस्पा होकर वादीगण के वाद को साबित करते है। अतः यह तनकी प्रतिवादी विरूद्व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या – 5</u> अनुतोष

उपरोक्त पत्रावली के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 107, 108, 109 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर चाही द्वितीय कुल रकबा 2.02 हैक्टर पर आज दिन भी कब्जा काश्त वादीगण का निरन्तर चला आ रहा है, उपलब्ध जमाबंदीयो में वादीगण के पूर्वज तनसुखदास एवं सुजादास का नाम दर्ज रहा है तथा गिरदावरी में काश्त भी इन्ही की रही है एवं समय समय पर राज्य सरकार को लगान अदा करते आये है, यदि भूमि कभी मंदिर माफी की रही होती तो उपरोक्त भूमि का लगान तय नही होता, राज्य सरकार द्वारा लगान में भी छूट दी जाती जो इस बात को साबित करती है कि प्रश्नगत भूमि की समय समय पर वादीगण के पूर्वज तनसुखदास एवं सुजादास द्वारा बाह जोत की जाती रही है, उनके पश्चात वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आये है तथा समय समय पर राज्य सरकार का लगान अदा किया जाता रहा है, उपरोक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज तनसुखदास एवं सुजादास काबिज होकर काश्त करते आये है तथा उनके पश्चात उनके वंशज वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है इस बात की पुष्टि उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, गिरदावरी नकल एवं वादीगण के बयान एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यो से भी होती है। है। <u>*राजस्थान सरकार रा[illegible] (ग्रुप-6) [illegible] परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज. 6/2007/14 दिनॉक 25.04.2007 अनुसार [illegible] के संबंध में जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि [illegible] अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में खातेदार खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगें।" धारा 9 इस प्रकार है :– " जागीर भूमियो मे खातेदारी अधिकार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखो में एक*</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमे यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगें और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।" वादीगण की ओर से प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयो की नजीरे एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र भी इस प्रकरण में बखूबी चस्पा होते है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपनी बहस में भी कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान सुजादास का नाम हटाकर खातेदारी मन्दिर श्री बिहारी जी वाके देह खातेदार दर्ज किया गया है। वादीगण के पिता सुजादास के नाम जमाबंदी में इन्द्राज को बिना किसी सक्षम अधिकारी एवं आदेश के सेंटलमेंट अधिकारियो द्वारा हटाया जाना इस बात को दर्शित करता है कि पक्षकारान वादीगण के पूर्वज या उनके वंशज को कभी सुना नही गया। उपरोक्त भूमि किसी न किसी रूप में वादीगण के पूर्वज के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारो में रहती आयी है, जिसको साबित करने में वादीगण सफल रहे है। अतः वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर चाही द्वितीय कुल रकबा 2.02 हैक्टर में दर्ज इन्द्राज प्रविष्टि मंदिर श्री बिहारी जी वाके देह हिस्सा–पूर्ण खातेदार को हटाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 28-06-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 22/2019 {2019/00050}

वादीगण

1-सुवालाल पुत्र सुजादास

2-धर्मेश्वर पुत्र सुजादास

3-पवन कुमार पुत्र सुजादास

4-भगवती प्रसाद पुत्र सुजादास जाति समस्त साद निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा व त्रुटी सुधार अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 *R.L.R .Act 1956*

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्री बोदूराम चौधरी, ओर से हाजिरी ..... मिनजानिब मुदई रू–बरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 747 रकबा 0.05 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 748 रकबा 1.97 हैक्टर चाही द्वितीय कुल रकबा 2.02 हैक्टर में दर्ज इन्द्राज प्रविष्टि मंदिर श्री बिहारी जी वाके देह हिस्सा–पूर्ण खातेदार को हटाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			य हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:46:21 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।